एसओपी सं.6

सं.3/27/2014-एसडी/एएम
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
सूत्रधार प्रभाग, प्रशासन यूनिट

दिनांक : 19 जून, 2014

**दक्षिण क्षेत्र केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में/ के द्वारा आयोजित समारोहों के लिए मानक कार्य-विधि (एसओपी)**

**प्रस्तावना**

दक्षिण क्षेत्र केंद्र (एसआरसी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंपे गए दायित्वों के अनुसार चार दक्षिणी राज्यों अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) सहित केरल और अब तेलंगाना में संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाकलाप करने के लिए की गई थी। क्षेत्रीय केंद्र के कार्यपालक निदेशक/ मानद निदेशक की विद्यमान वित्तीय शक्तियां प्रत्येक मामले में 5000/- रुपए हैं, जो आवर्ती व्यय के लिए अधिकतम 25,000/- रुपए प्रति माह है और प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपए, जो अनावर्ती व्यय के मामले में अधिकतम 50,000/- रुपए है। यह शक्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मुख्यालय के प्रभाग प्रमुख की शक्तियों के बराबर है। इस सीमा से अधिक व्यय करने के लिए निदेशक (प्रशासन)/ संयुक्त सचिव/ सदस्य सचिव का अनुमोदन अपेक्षित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अलग-अलग प्रभाग मुख्यालय में एक ही स्थान पर स्थित हैं और अन्य प्रभाग भौगोलिक सीमा की निकटता के कारण बिना किसी विलंब के वित्तीय मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय केंद्र के मामले में डाक में हुए विलंब आदि के कारण अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग जाता है, अत: इसके कारण उनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस मानक कार्य-विधि में अन्य अपेक्षाओं के निर्धारण के साथ-साथ कार्यपालक निदेशक, दक्षिण क्षेत्र केंद्र, बेंगलुरु को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

**उद्देश्य:**

**(क) कार्यक्रम (क्रियाकलाप)**

1. **सार्वजनिक व्याख्यान :** दक्षिण क्षेत्र केंद्र, दक्षिण भारत की संस्कृति और विरासत से संबंधित व्याख्यान (फिल्म स्क्रीनिंग सहित या उसके बिना) आयोजित करेगा। ये व्याख्यान सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए शैक्षिक कार्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दक्षिणी राज्यों में बेंगलुरु और अन्य नगरों में आयोजित किए जाएंगे। इन व्याख्यानों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाएगा:

   क. इन व्याख्यानों का उपयोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रसारण के लिए किया जा सकता है और व्याख्यान की विषय-वस्तु का उपयोग सांस्कृतिक कार्य-क्षेत्र (डोमेन) में शोध के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

   ख. दक्षिण क्षेत्र केंद्र प्रत्येक व्याख्यान के मामले में, जहां कहीं लागू हो, एक प्रतिलिपि - श्रव्य/दृश्य रिकार्डिंग और लिखित प्रतिलिपि तैयार करेगा। बाद में, इन व्याख्यानों का उपयोग दक्षिण क्षेत्र केंद्र के सांस्कृतिक अभिलेखागार परियोजना में छात्रों के लिए शोध हेतु अच्छा डेटाबेस तैयार करने में होगा।

   ग. व्याख्यान के समय प्रस्तुत किए गए लेख की प्रति दक्षिण क्षेत्र केंद्र की वेबसाइट पर डाली जाएगी।

2. **प्रदर्शनी :** दक्षिण क्षेत्र केंद्र प्रधान कार्यालय द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा और इन्हें बेंगलुरु तथा दक्षिण भारत के चुने गए स्थानों (चेन्नै, तंजावुर, मैसूर, हैदराबाद, मदुरै, त्रिवेंद्रम, धारवाड़, त्रिशूर, पांडिचेरी आदि) में किया जाएगा। जहां तक संभव हो, ऐसी प्रदर्शनियां बेंगलुरु से बाहर के नगरों में भी

आयोजित की जाएंगी। इन प्रदर्शनियों का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा तैयार किए गए सांस्कृतिक शिल्पकृति का प्रसारण होगा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा तैयार किए गए तथा शोध की गई सांस्कृतिक सामग्री से इनका और विस्तार किया जाएगा।

3. **कार्यशालाएं :** दक्षिण क्षेत्र केंद्र, बेंगलुरु और उससे बाहर कार्यशालाओं का आयोजन करेगा ताकि श्रोताओं को रचनात्मक प्रक्रिया और कला के बारे में कलाकारों से बातचीत करने का अवसर मिले और सीधे ही इसका ज्ञान प्राप्त हो। इन कार्यशालाओं से निम्नलिखित उपलब्धियां होंगी:

   क. कार्यशालाओं के परिणाम (यथा चित्रकला, मूर्तिकला आदि) को कलाकारों द्वारा प्रदर्शनी और अभिलेखागार के प्रयोजन के लिए दक्षिण क्षेत्र केंद्र का दान किया जाएगा।

   ख. सांस्कृतिक सामग्री संग्रहालय का सृजन

4. **संगोष्ठी और सम्मेलन :** दक्षिण क्षेत्र केंद्र, दक्षिण राज्यों में बेंगलुरु या अन्य नगरों में शैक्षिक संगोष्ठियां/ सम्मेलन आयोजित करेगा ताकि सांस्कृतिक क्षेत्र में विद्वानों के बीच शैक्षिक चर्चा को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार होंगी:

   क. बौद्धिक चर्चा और विचारावेश के बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में ज्ञान का सृजन;

   ख. विषय-वस्तु अर्थात प्रस्तुत किए गए लेख और सम्मेलन की कार्यवाही को ई-फार्म में प्रकाशित किया जाएगा और इसका उपयोग शोध के प्रयोजन के लिए किया जाएगा तथा इसे दक्षिण क्षेत्र केंद्र की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा।

   ग. कार्रवाई की श्रव्य/दृश्य रिकार्डिंग को दक्षिण क्षेत्र केंद्र के पुस्तकालय और सांस्कृतिक अभिलेखागार में उपलब्ध किया जाएगा।

5. **संगीत समारोह और प्रदर्शन :** दक्षिण क्षेत्र केंद्र शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और लोक कला के माध्यम से दक्षिण भारत के राज्यों में बेंगलुरु और अन्य नगरों

दोनों में संगीत समारोह और प्रदर्शनों का आयोजन करेगा। इनका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक मूल्य है। इसकी मुख्य उपलब्धि/ स्थिति इस प्रकार होगी:

क. संगीत समारोह/ प्रदर्शन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से जोड़ा जाएगा इन्हें शैक्षिक मूल्य के साथ विशेषत: युवा लोगों के लिए प्रसारित किया जाएगा।

ख. इस प्रदर्शन की रिकार्डिंग (श्रव्य और दृश्य) दक्षिण क्षेत्र केंद्र के सांस्कृतिक अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाएगी। ये रिकार्डिंग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के शोधार्थियों को शोध और संदर्भ लिए भी उपलब्ध की जाएगी।

**(ख) व्यय की मदें**

1. **यात्रा :** जहां तक संभव हो, केवल स्थानीय विद्वान व्यक्तियों को ही विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाए और उन्हें स्थानीय यात्रा के लिए टैक्सी भाड़ा अदा किया जाए। प्रदर्शन आदि के संबंध में लोगों के समूहों की सवारी के लिए उचित रूप से बड़े वाहन को भाड़े पर लिया जा सकता है। लेकिन यदि दिल्ली से बाहर के विद्वान व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें वातानुकूलित श्रेणी ।।/।।। का रेल भाड़ा आवक और जावक यात्रा के लिए अदा किया जा सकता है।

2. **आवास :** विद्वान व्यक्तियों/ कलाकारों को विश्वविद्यालय/ संस्थाओं/ केंद्र या राज्य सरकार की अतिथि गृहों और अधिकतम 1500/- रुपए प्रति दिन तक के किफायती होटल में ठहराया जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को होटल में ठहराया जा सकता है, बशर्ते कि उसका अधिकतम व्यय 3000/- रुपए प्रति दिन हो।

3. **अतिथि-सत्कार :** कार्यपालक निदेशक, दक्षिण क्षेत्र केंद्र अपेक्षानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित विद्वानों/ कलाकारों के अतिथि-सत्कार पर व्यय कर सकते हैं। यदि अपेक्षित हो तो श्रोताओं को भी चाय और हलका नाश्ता दिया जा सकता है।

4. **विद्वान व्यक्तियों के लिए मानदेय :** आमंत्रित किए गए विद्वानों/ वक्ताओं को मानदेय की अदायगी की जा सकती है, परंतु वह अधिकतम 3000/- रुपए प्रति दिन तक सीमित होगी। कलाकारों आदि के लिए दक्षिण क्षेत्र केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थानीय स्थितियों के अनुसार दरें तय कर सकता है।

5. **कार्यक्रम स्थल/स्थान प्रभार :** जहां तक संभव हो, दक्षिण क्षेत्र केंद्र द्वारा अपने स्थानों पर ही विभिन्न समारोहों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा या विभिन्न विश्वविद्यालयों/ राज्य या केंद्र सरकार के सांस्कृतिक संगठनों और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इनका आयोजन किया जाएगा ताकि व्यय कम से कम हो। लेकिन यदि अपरिहार्य हो जाए तो निजी-स्थल/स्थान को किराये पर लेने के प्रभारों की अदायगी की जा सकती है।

6. **प्रचार :** कार्यपालक निदेशक, दक्षिण क्षेत्र केंद्र बड़े समारोहों के दौरान प्रचार कार्य करने के लिए जन संपर्क एजेंसियों को भाड़े पर ले सकते हैं। इसकी दरें और जनसंपर्क एजेंसी के संबंध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मुख्यालय द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।

7. **विविध व्यय :** दक्षिण क्षेत्र केंद्र, टेंट/ फर्नीचर/ मंच के प्रकाश की व्यवस्था और श्रव्य/दृश्य रिकार्डिंग आदि के उपस्कर भाड़े पर लेने संबंधी व्यय कर सकता है।

8. **सहयोग :** कार्यपालक निदेशक, दक्षिण क्षेत्र, केंद्रीय विश्वविद्यालयों/ राज्य या केंद्र सरकार के सांस्कृतिक संगठनों और अन्य संस्थानों के सहयोग से यह क्रियाकलाप कर सकता है। ऐसे प्रस्तावों की विषय की बाह्य विशेषज्ञों वाली एक समिति द्वारा जांच की जाएगी। ऐसे मामले में समझौता ज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि दक्षिण क्षेत्र केंद्र द्वारा किन मदों का व्यय वहन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों से होने वाली उपलब्धि और इसके अन्य विवरणों के संबंध में सहयोगी संस्था के साथ यह समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा।

9. **वित्तीय सीमा :** दक्षिण क्षेत्र केंद्र द्वारा हरसंभव प्रयास किया जाएगा कि मितव्ययता संबंधी सभी संभव उपाय अपनाए जाएं ताकि व्यय को कम से कम रखा जा सके। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के संबंध में खर्च की जाने वाली व्यय की अधिकतम सीमा इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| (क) सार्वजनिक व्याख्यान | : | 20,000/- रु. (केवल बीस हजार रु.) प्रति व्याख्यान |
| (ख) प्रदर्शनी | : | 1,00,000/- रुपए (केवल एक लाख रुपए) प्रति प्रदर्शन |
| (ग) कार्यशाल | : | 70,000/- रुपए (केवल सत्तर हजार रुपए) प्रति कार्यशाला |
| (घ) संगोष्ठी और सम्मेलन | : | 1,00,000/- रुपए (केवल एक लाख रुपए) प्रति संगोष्टी एवं सम्मेलन |
| (ङ) संगीत-समारोह और प्रदर्शन | : | 50,000/- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) प्रति संगीत-समारोह और प्रदर्शन |

10. **लेखाओं को अंतिम रूप देना :** समारोह के समापन के एक माह के अंदर सभी बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा और लेखाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अंतिम लेखाओं पर कार्यपालक निदेशक, दक्षिण क्षेत्र केंद्र द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

11. **रिपोर्टें :** हालांकि प्रत्येक अलग-अलग क्रियाकलाप से अलग-अलग उपलब्धियां होंगी, तथापि दक्षिण क्षेत्र केंद्र, समारोह/कार्यक्रम के समापन के एक माह के अंदर प्रधान कार्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये रिपोर्टें प्रति माह प्रधान कार्यालय में सदस्य सचिव को प्रस्तुत की जाएंगी।

**(ग) सामान्य शर्तें:**

दक्षिण क्षेत्र केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और किए जाने वाले व्यय पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(क) सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के सभी निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा;

(ख) एक कार्यक्रम अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मुख्यालय द्वारा यथा अनुमोदित) के भाग होंगे;

(ग) व्यय, निधियों के आबंटन के अनुसार किया जाता है;

(घ) प्रधान कार्यालय द्वारा तैयार की गई/व्यवस्थित की गई प्रदर्शनियों के परिवहन पर किए जाने वाला व्यय उस स्थिति में प्रधान कार्यालय द्वारा पूरा किया जाएगा, यदि यह प्रदर्शन की अधिकतम वित्तीय सीमा से अधिक हो; और

(ङ) ऐसा व्यय जो विशिष्ट रूप से उपर्युक्त के अधीन नहीं आता हो और कार्यपालक निदेशक, दक्षिण क्षेत्र केंद्र की शक्तियों से अधिक हो, मुख्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

ह./- जयंत कुमार रे
निदेशक (प्रशासन)

<u>कार्यपालक निदेशक, दक्षिण क्षेत्र केंद्र, बेंगलुरु</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. सदस्य सचिव के निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
3. सभी विभागाध्यक्ष
4. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी

5. सहायक वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी, दक्षिण क्षेत्र केंद्र, बेंगलुरु
6. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)